रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 451] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 1, 1975/कार्तिक 10, 1897

No. 451] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 1, 1975/KARTIKA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st November 1975

S.O. 637(E)/IDRA/29B/75.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby exempts from the operation of sections 10, 11, 11A and 13 of the said Act and the rules made thereunder: all industrial undertakings pertaining to any of the scheduled industries specified in the Schedule to this notification, subject to the following conditions, namely:—

1. The articles of manufacture shall not be an article specified in Schedule I to the notification No. 98E/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973 of the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development), as amended from time to time.
2. The industrial undertakings shall not require imported raw materials or imported capital goods or involve foreign collaboration.
3. The industrial undertaking does not fall within the purview of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969) or within the purview of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973).

This is in addition to and not in derogation of notification No. S.O. 98E/IDRA/29B/73/1, dated 16th February, 1973 of the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development).

SCHEDULE

1. Cotton spinning for the manufacture of cotton yarn upto a capacity of 50,000 spindles subject to the following:—
 (a) the packings of yarn in hank, form and the count-wise production should be in accordance with the policy in force and the directions issued by the Textile Commissioner in this regard from time to time.
 (b) new unit should have a capacity of 25,000 spindles.
 (c) the unit should be located in an area other than in towns with a population of more than 10 lakhs.
2. Solvent extraction of oil/oil cakes from minor seeds including cotton seeds.
3. Writing, printing and wrapping paper from agricultural residue and waste.
4. Rayon grade pulp from bamboo.
5. Refractories.
6. Water pumps beyond 10 cmX10 cm.
7. Cotton seed linter pulp.
8. Tractor drawn agricultural implements.
9. Glass slag and mineral wool and products thereof.
10. Hard board including fibre board/chip board and the like.
11. GLS lamps.
12. Industrial sewing machines.
13. Basic drugs.
14. Forged hand tools and small tools.
15. Leather goods except those reserved for Small Scale Industries.
16. Industrial machinery.
17. Surgical and medicinal rubber products.
18. LT Switchgears.
19. Machine tools.
20. Industrial and scientific instruments.
21. Basic insecticides.

[No. F. 12(139)/L.P./75(i)]

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली 1 नवम्बर, 1975

का० आ० 637 (अ)/उ० वि० वि० अ० /29ख/75.—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूचित उद्योगों में से किसी से सम्बन्धित सभी औद्योगिक उपक्रमों को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त

अधिनियम की धारा 10, 11, 11क और 13 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन से छूट देता है, अर्थात् :—

1. विनिर्माण की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं नहीं होंगी जो भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) का समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं० 98अ/उ० वि० वि० अ०/29ख /73/1 तारीख 16 फरवरी, 1973 की अनूसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं ।

2. औद्योगिक उपक्रमों को आयातित कच्चे माल या आयातित पूंजीगत माल की अपेक्षा नहीं होगी या उनके द्वारा विदेशी सहयोग नहीं लिया जाएगा ।

3. औद्योगिक उपक्रम एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के क्षेत्र में नहीं आता है ।

यह भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 98अ/उ० वि० वि० अ०/29ख/73/1 तारीख 16 फरवरी, 1973 के अतिरिक्त है, न कि उसके अल्पीकरण में ।

अनुसूची

1. निम्नलिखित के अधीन रहते हुए पचास हजार तकुवों की क्षमता तक सूती धागे के विनिर्माण के लिए सूत की कताई : —

 (क) लच्छों के रूप में धागे की पैकिंग तथा गिनतीवार उत्पादन, इस निमित्त समय-समय पर प्रवृत्त नीति और वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में होना चाहिए ।

 (ख) नई यूनिट की क्षमता पच्चीस हजार तकुवों की होनी चाहिए ।

 (ग) यूनिट की स्थापना ऐसे क्षेत्र में होनी चाहिए जो कस्बों से भिन्न हो और जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक हो ।

2. बिनौला सहित छोटे बीजों से तेल/खली का विलायक निष्कर्षण ।

3. कृषि अवशिष्ट तथा अपशिष्ट से लिखने, मुद्रण और लपेटने का कागज ।

4. बांस से रेयन श्रेणी लुगदी ।

5. रिफ्रैक्टरियां ।

6. 10 सैंटीमीटर × 10 सैंटीमीटर से अधिक के जल पम्प ।

7. बिनौला लिंटर लुगदी ।

8. ट्रैक्टर से खींचे जाने वाले कृषि-उपकरण ।

9. कांच स्लैग और खनिज वूल तथा उसके उत्पाद ।

10. फाइबर बोर्ड/चिप बोर्ड आदि सहित हार्ड बोर्ड ।

11. जी० एल० एस० लैम्प ।

12. औद्योगिक सिलाई मशीन ।

13. आधारिक औषधि द्रव्य ।

14. फोर्ज्ड हाथ के औजार और छोटे औजार ।

15. लघु उद्योगों के लिए आरक्षित चमड़े के माल को छोड़ कर चमड़े का माल ।

16. औद्योगिक मशीनरी ।

17. शल्य और औषधीय रबड़ की वस्तुएं ।

18. एल० टी० स्विच गीयर ।

19. मशीन औजार ।

20. औद्योगिक और वैज्ञानिक औजार ।

21. आधारिक कीटनाशी

[सं० फा० 12 (139)/एल० पी०/75(i)]

S.O. 638(E)/IDRA/29B/75.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby exempts all industrial undertakings registered under the said Act or in respect of which any licence or permission has been issued under that Act and pertaining to any of the scheduled industries specified in the schedule to this notification, from the operation of Clause (d) of sub-section (1) of section 13 of the said Act, subject to the following conditions, namely:—

1. The articles of manufacture shall not be an article specified in Schedule I to notification No. 98E/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973 of the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development), as amended from time to time.
2. The industrial undertaking does not fall within the purview of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969) or within the purview of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973).
3. The industrial undertaking will not instal additional machinery either indigenous or imported.

This notification is in addition to and not in derogation of notifications No. S.O. 98E/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973 of the late Ministry of Industrial Development (Deptt. of Industrial Development).

Schedule

1. Special alloy, Iron and Steel Castings, S.G. Iron Castings, Stainless steel castings and closed die forgings.
2. Diesel engines (above 15 H.P.) and pumps (other than small pumps reserved for Small Scale Industries).
3. Equipment for transmission and distribution of electricity.
4. Power transformers.
5. Switch gears.
6. Electric motors—specialised types (e.g. flame-proof motors).
7. Electric furnaces.
8. Electronic components and equipment.
9. Commercial vehicles.
10. Tractors.
11. Scooters.
12. Automobile ancillaries.
13. Industrial machinery.
14. Machine tools.
15. Conveying equipment.
16. Cranes.
17. Earth-moving, mining and metallurgical equipment.

18. Hydraulic equipment.
19. Nitrogenous and Phosphatic fertilisers.
20. Inorganic heavy chemicals.
21. Organic heavy chemicals.
22. Fine chemicals including photographic chemicals.
23. Synthetic rubber and rubber chemicals.
24. Industrial Explosives.
25. Insecticides, fungicides, weedicides and the like.
26. Paper and pulp including paper products.
27. Refractories and furnace-lining bricks.
28. Portland cement.
29. Basic drugs.

[No. F. 12(139)/L.P./75(ii)]

R. V. RAMAN, Secy.

का० आ० 638 (अ)/उ० वि० वि० अ०/29ख/75.—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे सभी औद्योगिक उपक्रमों को, जो उस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं या जिनकी बाबत उस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा जारी की गई है और जो इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूचित उद्योगों में से हैं, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के प्रवर्तन से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात्:—

1. विनिर्माण की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं नहीं होंगी जो भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 98ड०/उ० वि० वि० अ० /29ख/73/1 तारीख 16 फरवरी 1973 की अनुसूची I में विनिर्दिष्ट हैं।

2. औद्योगिक उपक्रम, एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के क्षेत्र में नहीं आते हैं।

3. औद्योगिक उपक्रम या तो देशी या आयातित अतिरिक्त मशीनरी नहीं संस्थापित करेगा

यह अधिसूचना भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 98ड०/उ० वि० वि० अ०/29ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 के अतिरिक्त है न कि उसके अल्पीकरण में।

अनुसूची

1. विशेष एलॉय, लोह और इस्पात कास्टिंग, एस० जी० लौह कास्टिंग, स्टेनलेस इस्पात कास्टिंग और बन्द डाई फोर्जिंग।

2. डीजल इंजन (15 एच० पी० से उपर) और पम्प (लघु उद्योगों के लिए आरक्षित छोटे पम्पों से भिन्न)

3. विद्युत् संचरण तथा वितरण के लिए उपस्कर

4. शक्ति ट्रांसफार्मर
5. स्विच गीयर
6. विद्युत् मोटर–विशेष प्रकार के (उदाहरणार्थ ज्वाला–सह मोटर)
7. वैद्युत भट्टियां
8. इलक्ट्रानिक गट्टर और उपस्कर
9. वाणिज्यिक यान
10. ट्रैक्टर
11. स्कूटर
12. आटोमोबाइल एनसिलियरी
13. औद्योगिक मशीनरी
14. मशीन औजार
15. संवाहन उपस्कर
16. क्रेन
17. मिट्टी उठाने वाले, खनन और धातुकर्मीय उपस्कर
18. जल विज्ञान सम्बन्धी द्रवचालित उपस्कर
19. नाइट्रोजनीय और फास्फेटिक उर्वरक
20. अजैव भारी रसायन
21. जैव भारी रसायन
22. फोटोग्राफिक रसायन सहित फाइन कैमिकल्स
23. सिथैटिक रबड़ और रबड़ रसायन
24. औद्योगिक विस्फोटक
25. कीटनाशी, कवक नाशी, अपतृणनाशी आदि
26. कागज उत्पादन सहित कागज और लुगदी ।
27. रिफैक्टरियां और भट्टी में रखी ईंटें ।
28. पोर्टलैण्ड सीमेंट
29. आधारिक औषधि द्रव्य

[सं० फा० 12(139)/एल०

आर० बी० रामन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1975